राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : selaacg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 03/07/2020 को संपन्न 332वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

——00——

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020 को श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री भोसकर विलास संदिपान, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

श्री धीरेन्द्र शर्मा द्वारा विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की गई एवं श्री भोसकर विलास संदिपान, सदस्य सचिव द्वारा विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुये। समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020 बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण / मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स श्री नन्द कुमार कुम्भकार (नंदनी–खुंदनी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 735):

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व मे प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /28528/2018, दिनांक 02/08/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48289/ 2018, दिनांक 11/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 416, 417, 418, 423, 436 एवं 437, कुल लीज क्षेत्र 2.96 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 40,000 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 260वीं बैठक दिनांक 27/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत नंदनी–खुंदनी द्वारा दिनांक 24/05/2008 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – स्कीम ऑफ माईनिंग प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के ज्ञापन क्रमांक डीआरजी/ एलएसटी/एमपीएलएन–554/नागपुर, दिनांक 05/09/2013 (वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक की अवधि) द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 595/खनि.लि.2/खनिज/2017 दुर्ग, दिनांक 27/05/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 12 खदानें, रकबा 66.01 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान है।
4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सहगांव 920 मीटर, शहर दुर्ग 28 कि.मी., स्कूल ग्राम–सहगांव 950 मीटर, प्रायमरी मेडिकल 950 मीटर एवं रेल्वे स्टेशन दुर्ग 28 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.57 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 1.1 कि.मी. की दूरी पर है।
5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

6. **लीज का विवरण** – पूर्व में खनिज गतिविधियों के संचालन हेतु श्री छत्तर सिंह ठाकुर के नाम पर लीज डीड दिनांक 04/03/1998 को निष्पादित की गई थी। लीज डीड 20 वर्षों के लिए दिनांक 04/03/1998 से 03/03/2018 तक की अवधि हेतु थी। लीज श्री नन्द कुमार कुम्भकार के नाम पर दिनांक 26/12/2006 को हस्तांतरित हुई। तदुपरांत दिनांक 03/03/2048 तक लीज वृद्धि की गई है।

7. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 9,68,230 टन एवं माईनेबल रिजर्व 4,04,756 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.78 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। वर्तमान में 2 हेक्टेयर भू–भाग में उत्खनन किया गया है। वर्तमान में 20–26 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। उत्खनन की अंतिम गहराई 26 मीटर होगी। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2.0 मीटर है। वर्तमान में बेंच की चौड़ाई 3 से 10 मीटर है। बेंच की अंतिम चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर एवं 06 मीटर होगी। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। ड्रिलिंग हेतु जेक हेमर ड्रिल का उपयोग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। जल उपभोग की मात्रा 7 किलोलीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट 2 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलु उपयोग हेतु 3 किलोलीटर प्रतिदिन) है। जल का स्त्रोत भू–जल है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
1994–1997	निरंक	2008–2009	15,650
1998–1999	290	2009–2010	11,750
1999–2000	130	2010–2011	14,415
2000–2001	60	2011–2012	21,480
2001–2002	200	2012–2013	21,500
2002–2003	2,700	2013–2014	21,500
2003–2004	90	2014–2015	20,590
2004–2005	80	2015–2016	26,200
2005–2006	81	2016–2017	32,400
2006–2007	215	2017–2018	निरंक
2007–2008	8,095	2018–2019	निरंक

उत्खनन की वर्षवार योजना
(स्कीम ऑफ माईनिंग प्लान अनुसार)

वर्ष	उत्खनन (टन)
2013–14	16,350
	13,275
2014–15	11,850
	16,500
2015–16	35,250

2016–17	34,500
2017–18	40,000
कुल	**1,67,725**

8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्फ्रॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्फ्रॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

प्रकरण उल्लंघन का होने के कारण एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{2as}$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 307वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 17/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः दिनांक 20/01/2020 के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हरिशंकर कुम्भकार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (प्रस्तुतीकरण की तैयारी नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक के उपरांत आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हरिशंकर कुम्भकार, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटू इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2012-13 में 21,500 टन उत्खनन किया गया है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सीमा क्षेत्र के कुल 571 वर्गमीटर क्षेत्र में पूर्व से ही उत्खनन कार्य किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया

कि उनके द्वारा इस 571 वर्गमीटर क्षेत्र को भरकर उसमें रोपण कार्य किया जाएगा।

3. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विचाराधीन क्लस्टर के संचालन उपरांत क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.9 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।

5. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साईट–V) एवं 6 (प्रोजेक्ट साईट–VI) में परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत एवं जल छिड़काव कर, मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.$_{10}$ 92.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं 89.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा को निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरंतर किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी नियंत्रण उपाय (Mitigation measure) एवं पहुँच मार्ग तथा खदान के आस–पास में प्रस्तावित सघन वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।

6. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 40	2%	Rs. 0.80	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Nandini Khundini	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.33
			Potable Drinking water Facility	Rs. 0.32
			Plantation with Fencing	Rs. 0.15
			Total	**Rs. 0.80**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेड़ेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

8. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पॉवर हॉउस रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़िया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़के अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

ii. ब्लास्टिंग एक निश्चित समय पर होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए, जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे। खदान एवं क्रशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रशर को पूर्णतः कव्हर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

vi. गिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी वाहनें चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनकी गति में रोक लगाई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियत्रंण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में समिति की 260वीं बैठक दिनांक 27/10/2018 को प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया था कि उत्खनन कार्य वर्ष 2012-13 में 16,800 टन है। वर्तमान में वर्ष 2012-13 में 21,500 टन उत्खनन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।

2. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई के मापन के संबंध में प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

4. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिन्हित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संधारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर मे उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

5. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति का स्त्रोत स्पष्ट किया जाए। भू-जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदानुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्वॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।

7. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नही किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

8. रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

9. लीज क्षेत्र की सीमा में स्थित 7.5 मीटर चौडी पट्टी में पूर्व से उत्खनित 571 वर्गमीटर क्षेत्र के पुनःभरण एवं रोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट में संशोधन कर दिनांक 18/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। उक्त क्षेत्र का भराव दिसम्बर 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने का समय एवं इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ई) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हरिशंकर कुम्भकार, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. कैलेण्डर वर्ष अनुसार वर्ष 2012–13 में 16,800 टन एवं वित्तीय वर्ष अनुसार वर्ष 2012–13 में 21,500 टन उत्खनन कार्य किया जाना बताया गया है।
3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के उत्खनित क्षेत्र (571 वर्गमीटर) का पुनःभराव किया गया है।
4. ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु किये गये हाईड्रोजियोलॉजिकल स्टडी अनुसार खदान के क्षेत्र में ग्राउण्ड वाटर टेबल सतह से 35 मीटर नीचे होना बताया गया है।
5. खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी।
6. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, सड़कों का संधारण (Road

Maintenance) एवं वृक्षारोपण तथा परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quarterly Environment Monitoring) किया जाएगा। उक्त कार्य हेतु अनुमानित राशि की उपयुक्त गणना प्रस्तुत नहीं की गई है।

7. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. उक्त खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उपयुक्त पर्यावरण के सुरक्षात्मक उपायों को नहीं अपनाते हुये पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं करते हुये उत्खनन किया गया है, जिसके फलस्वरूप मटेरियल उत्खनन, हथालन, परिवहन से वायु प्रदूषण के साथ पर्यावरण पर विपरित प्रभाव की स्थिति निर्मित हुई तथा परिवहन से परिवेशीय वायु में 1.375 माईक्रोग्राम / घनमीटर पीएम$_{10}$ की वृद्धि का योगदान रहा। लीज क्षेत्र के चारों ओर हरित पट्टिका हेतु निर्धारित 7.5 मीटर के सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण नहीं करने के फलस्वरूप पर्यावरण पर विपरित प्रभाव पड़ा।

9. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदानुसार अध्ययन कर रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगमेंटेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्लान में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित कार्यों का विवरण, कार्यवार खर्च, स्थल का चयन, आदि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षति (Environmental Damage) हेतु रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति लागत (Damage Cost) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, ताकि उसके परीक्षण उपरांत समिति द्वारा अनुमोदन किया जा सके।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में चाही गई जानकारी विधिवत् प्रस्तुत किया जाए।
2. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के लिए अनुमानित राशि की उपयुक्त गणना उपरांत संशोधित कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) को समस्त 17 खदानों के लिए एक साथ सारणीबद्ध (Tabular) में प्रस्तुत किया जाए।
4. क्लस्टर में शामिल उल्लंघन के समस्त खदानों के लिए Environment Compensation के प्रस्ताव को सारणीबद्ध (Tabular) में प्रस्तुत किया जाए।
5. पर्यावरणीय क्षति (Environmental Damage) हेतु रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति लागत (Damage Cost) का उपयुक्त आकंलन कर, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्तावित निर्धारित कार्यों का विवरण, कार्यवार खर्च, स्थल का चयन, आदि के विवरण सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स सहगांव लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती लालमति सिंह), ग्राम–सहगांव, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 696)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /24915/2018, दिनांक 13/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48466/ 2018, दिनांक 15/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। यह खदान ग्राम–सहगांव, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 255, 256, 257/1,2,3, 258, 259, 260/1,2,3, 261, 262, 263, 269, 275 एवं 276, कुल लीज क्षेत्र 4.82 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 81,250 टन प्रतिवर्ष एवं क्रशिंग क्षमता – 81,250 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 258वीं बैठक दिनांक 25/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत पथरिया (सह.) द्वारा दिनांक 22/05/2007 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉडिफिकेशन इन एप्रूव्ड माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक दुर्ग/ चूप/ खयो–1096/ 2017–रायपुर/231 दिनांक 06/06/2017 (वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक की अवधि हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 856 दिनांक 19/06/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 10 खदानें रकबा 25.55 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।
4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सहगांव 150 मीटर, प्राथमिक स्कूल ग्राम–सहगांव 150 मीटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम–सहगांव 210 मीटर एवं रेल्वे स्टेशन भिलाई पॉवर हॉउस 18.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 375 मीटर है। शिवनाथ नदी 225 मीटर एवं नाला 200 मीटर दूर है।
5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नही होना प्रतिवेदित किया है।
6. **लीज का विवरण** – पूर्व में खनिज गतिविधियों के संचालन हेतु श्री राजेन्द्र सिंह के नाम पर एल.ओ.आई. दिनांक 27/03/2010 को जारी किया गया था। माईनिंग प्लान श्री राजेन्द्र सिंह के नाम पर दिनांक 30/12/2010 को अनुमोदित किया गया। लीज स्व. श्री राजेन्द्र सिंह की धर्म पत्नी श्रीमती लालमति

सिंह के नाम पर दिनांक 29/05/2012 को हस्तांतरित हुई। लीज डीड 30 वर्षों के लिए दिनांक 29/05/2012 से 28/05/2042 तक की अवधि हेतु है।

7. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 24,58,125 टन एवं माईनेबल रिजर्व 19,08,125 टन है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। क्रशर युनिट (100 TPD) 0.26 हेक्टेयर पर स्थित है। क्रशर में डस्ट उत्सर्जन की रोकथाम हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था एवं क्रशर को कवर्ड किया गया है। वर्तमान में गहराई 8 मीटर है। उत्खनन की प्रस्तावित अंतिम गहराई 30 मीटर होगी। अल्टिमेट बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर होगी। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 4.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 31 वर्ष है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। जल की मात्रा 6.53 किलोलीटर प्रतिदिन है। जल का स्त्रोत बोरवेल/हैंडपंप है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (7,910 वर्गमीटर) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्षा का जल संग्रहित करने हेतु जल संग्रहण संरचना (तालाब) निर्मित की जाएगी। विगत 5 वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2013–14	निरंक
2014–15	10,550
2015–16	11,420
2016–17	7,400
2017–18	निरंक

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन क्षमता (टन)
2017–18	50,825
2018–19	77,187
2019–20	73,150
2020–21	51,062
2021–22	41,562
कुल	**2,93,786**

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2019 द्वारा अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्फ्रॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्फ्रॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी

1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**
   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{(x)}$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्रीमुख, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जनवरी से मार्च 2016 तक 1,770 टन एवं वर्ष 2016–17 में 7,400 टन उत्खनन किया गया है। तदुपरांत से खदान बंद है।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है।

3. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव के संबंध में दिये गये प्रस्ताव अनुसार "The generated top soil will be utilized for plantation on the 7.5 meter non mining limit zone over the old soil dump area (5630 sqm) some fresh area about 2280 sqm and the height of the soil dump will be about 10.0 meter and cover about 6180 sqm area (including about 20% extra area for swelling and angle of repose will be maintained as 28^0)" होना बताया गया है। जबकि भण्डारण 1.86 मीटर की उंचाई तक ही रखा जा सकता है। उक्त प्रस्ताव तकनीकी रूप से युक्तियुक्त नहीं है।

4. प्रस्तुत ई.आई.ए. में ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है।

5. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।

6. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वर्तमान में स्थापित बोरवेल से किया जाना बताया गया है। उक्त हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. इन्वॉयरोमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

11. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेडेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

12. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

   i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पॉवर हॉउस रोड जहाँ पर मिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़िया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़के अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

   ii. निश्चित समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे खदान एवं क्रशर जो चालू

होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्वारर को पूर्णतः कवर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

vi. मिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी वाहनें चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनके गति में रोक लगाई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियत्रंण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। अतः उक्त उत्खनित क्षेत्र का विवरण, लंबाई, गहराई सहित नक्शे में प्रदर्शित कर वर्तमान में भराव (बेकफिल) हेतु प्रयुक्त मिट्टी / ओव्हरबर्डन की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष

ऊपरी मिट्टी के उचित रख–रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये शर्त क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

4. प्रस्तुत ई.आई.ए. में परिवेशीय ध्वनि स्तर में उत्खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न ध्वनि को शामिल करते हुये प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है। अतः गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

5. परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है। अतः उक्त के कारण को स्पष्ट किया जाए तथा प्रभावी नियंत्रण (Mitigation measure) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई का मापन के आधार संबंधी प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्वॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।

8. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

10. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिन्हित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संधारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर में उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

11. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वर्तमान में स्थापित बोरवेल से किए जाने हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

12. इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट में संशोधन कर दिनांक 19/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। उक्त क्षेत्र का भराव दिसम्बर 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने का समय एवं इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्रीमुख रावत, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा सस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाना बताया गया है।

3. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के उचित रख–रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये शर्त क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

5. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विचाराधीन क्लस्टर के संचालन उपरांत क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।

6. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साईट–V) एवं 6 (प्रोजेक्ट साईट–VI) में परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत एवं जल छिड़काव कर,

मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.$_{10}$ 92.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं 89.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा को निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरंतर किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी नियंत्रण उपाय (Mitigation measure) एवं पहुँच मार्ग तथा खदान के आस-पास में प्रस्तावित सघन वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।

7. ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु किये गये हाईड्रोजियोलॉजिकल स्टडी अनुसार खदान के क्षेत्र में ग्राउण्ड वाटर टेबल सतह से 35 मीटर नीचे होना बताया गया है।

8. खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी।

9. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, सड़कों का संधारण (Road Maintenance) एवं वृक्षारोपण तथा परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quarterly Environment Monitoring) किया जाएगा। उक्त कार्य हेतु अनुमानित राशि की उपयुक्त गणना प्रस्तुत नहीं की गई है।

10. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11. उक्त खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उपयुक्त पर्यावरण के सुरक्षात्मक उपायों को नहीं अपनाते हुये पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं करते हुये उत्खनन किया गया है, जिसके फलस्वरूप मटेरियल उत्खनन, हथालन, परिवहन से वायु प्रदूषण के साथ पर्यावरण पर विपरित प्रभाव की स्थिति निर्मित हुई तथा परिवहन से परिवेशीय वायु में 1.375 माईक्रोग्राम / घनमीटर पीएम$_{10}$ की वृद्धि का योगदान रहा। लीज क्षेत्र के चारों ओर हरित पट्टिका हेतु निर्धारित 7.5 मीटर के सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण नहीं करने के फलस्वरूप पर्यावरण पर विपरित प्रभाव पड़ा।

12. इन्वॉयरोमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी प्रस्तुत की गई है।

13. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदानुसार अध्ययन कर रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्लान में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित कार्यों का विवरण, कार्यवार खर्च, स्थल का चयन, आदि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षति (Environmental Damage) हेतु रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति लागत (Damage Cost) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, ताकि उसके परीक्षण उपरांत समिति द्वारा अनुमोदन किया जा सके।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में चाही गई जानकारी विधिवत् प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के उचित रख–रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के लिए अनुमानित राशि की उपयुक्त गणना उपरांत संशोधित कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) को समस्त 17 खदानों के लिए एक साथ सारणीबद्ध (Tabular) में प्रस्तुत किया जाए।
5. क्लस्टर में शामिल उल्लंघन के समस्त खदानों के लिए Environment Compensation के प्रस्ताव को सारणीबद्ध (Tabular) में प्रस्तुत किया जाए।
6. पर्यावरणीय क्षति (Environmental Damage) हेतु रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति लागत (Damage Cost) का उपयुक्त आकलन कर, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्तावित निर्धारित कार्यों का विवरण, कार्यवार खर्च, स्थल का चयन, आदि के विवरण सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स आनंद इंटरप्राईजेस (सहगांव लाईम स्टोन माईन), ग्राम–सहगांव, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 567)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /62957/2017, दिनांक 04/03/2017 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48478/ 2017, दिनांक 15/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 384, 375, 381, 382 एवं 383, ग्राम–सहगांव, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 3.237 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 40,000 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकरण में समिति की 225वीं बैठक दिनांक 15/05/2017 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत पथरिया द्वारा दिनांक 14/08/1995 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक दुर्ग/ चूप/ खयो–375/ नाग/ 2016/15–रायपुर, दिनांक 09/08/2016 (वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक की

अवधि हेतु) द्वारा अनुमोदित मॉडिफाईड माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन्स क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के पत्र क्रमांक 2191 दिनांक 17/01/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 13 खदानें, रकबा 73.28 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।

4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम शहर दुर्ग 25.4 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन भिलाई नगर लगभग 22.67 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया हैं।

6. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्री आनंद इंटरप्राईजेस के नाम पर है, जो 20 वर्षों अर्थात् 10/10/1996 से 09/10/2016 तक की अवधि हेतु थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग के पत्र क्रमांक 1263/खनिज/2015 दुर्ग दिनांक 05/10/2015 द्वारा खनिपट्टे की अवधि बढ़ाने हेतु पूरक अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने बाबत् पत्र जारी किया गया है।

7. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – माईनेबल रिजर्व 14,38,785 टन है। लीज क्षेत्र में पिट 1 एवं पिट 2 कुल दो पिट है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा गया है। उत्खनन सेमी मेकेनाईज्ड ओपन कास्ट विधि से किया जाता है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमरड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। बेंच की अंतिम (अल्टिमेट) ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर होगी। पिट 1 में 11 मीटर गहराई तक एवं पिट 2 में 29 मीटर गहराई तक उत्खनन हो गया है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 33 मीटर होगी। विभिन्न खनन प्रक्रियाओं हेतु 6 किलोलीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन 3 किलोलीटर प्रतिदिन, प्लाटेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलु उपयोग हेतु 1 किलोलीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होती है, जिसका स्त्रोत बोरवेल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

उत्खनन की योजना

वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
1996–1997	120	2008–2009	15,200
1997–1998	2,000	2009–2010	25,700
1998–1999	1,528	2010–2011	32,000
1999–2000	2,450	2011–2012	15,500
2000–2001	1,791	2012–2013	16,000
2001–2002	3,100	2013–2014	25,000
2002–2003	2,895	2014–2015	32,000
2003–2004	3,475	2015–2016	15,540

2004–2005	4,800	2016–2017	निरंक
2005–2006	3,900	2017–2018	निरंक
2006–2007	4,950	2018–2019	निरंक
2007–2008	19,200		

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वित्तीय वर्ष	संभावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्खनन क्षमता (टन)	रिजेक्ट (टन)
2016–2017	18,107	40,000	1,811
2017–2018	18,163	40,000	1,816
2018–2019	18,034	40,000	1,803
2019–2020	17,966	40,000	1,797
2020–2021	18,012	40,000	1,801

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/08/2017 द्वारा इन्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{GM}$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावकों द्वारा संयुक्त ई.आई.ए. रिपोर्ट में संशोधन कर दिनांक 18/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. समिति द्वारा उपरोक्त परियोजना प्रस्तावकों से पूर्व बैठक में पृथक–पृथक जानकारी चाही गई थी। परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. कुछ परियोजना प्रस्तावकों द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। उक्त क्षेत्र का भराव दिसम्बर 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने का समय एवं इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आनंद बाफना, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए।

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर सेफ्टी जोन के कुछ क्षेत्र में उल्लंघन किया गया है।
3. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विचाराधीन क्लस्टर के संचालन उपरांत क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।
4. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साईट–V) एवं 6 (प्रोजेक्ट साईट–VI) में परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत एवं जल छिड़काव कर, मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.$_{10}$ 92.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं 89.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा को निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरंतर किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी नियंत्रण उपाय (Mitigation measure) एवं पहुँच मार्ग तथा खदान के आस–पास में प्रस्तावित सघन वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।
5. ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु किये गये हाईड्रोजियोलॉजिकल स्टडी अनुसार खदान के क्षेत्र में ग्राउण्ड वाटर टेबल सतह से 35 मीटर नीचे होना बताया गया है।
6. खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिडकाव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी।
7. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, सड़कों का संधारण (Road Maintenance) एवं वृक्षारोपण तथा परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quarterly Environment Monitoring) किया जाएगा। उक्त कार्य हेतु अनुमानित राशि की उपयुक्त गणना प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं (L से P तक) का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेड़ेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

11. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

   i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पॉवर हॉउस रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़ियां चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़के अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

   ii. निश्चित समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे खदान एवं क्रशर जो बालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रशर को पूर्णतः कवर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

   iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

   iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

   v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

   vi. गिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी वाहने चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनके गति में रोक लगाई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

   i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

   ii. प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

   iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में चाही गई जानकारी विधिवत् प्रस्तुत किया जाए।
2. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं (L से P तक) का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
3. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के लिए अनुमानित राशि की उपयुक्त गणना उपरांत संशोधित कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) को समस्त 17 खदानों के लिए एक साथ सारणीबद्ध (Tabular) में प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स श्री हेमंत कुमार साहू, (नंदनी–खुंदनी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 526)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /60450/2016, दिनांक 16/11/2016 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48481/ 2017, दिनांक 16/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान खसरा नं. 1898 (पार्ट), 1900, 1901, 1902, 1903, 1904 (पार्ट), 1905 एवं 1906 (पार्ट), ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 1.45 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 25,000 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकरण में समिति की 224वीं बैठक दिनांक 21/04/2017 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत नंदिनी खुंदनी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित चूना पत्थर खदान से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य 10 चूना पत्थर खदानें कुल रकबा 68.26 हेक्टेयर स्वीकृत/संचालित है।

3. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नंदनी–खुंदनी 1 कि.मी., रेल्वे स्टेशन भिलाई पॉवर हॉउस लगभग 20.3 कि.मी. एवं शहर दुर्ग लगभग 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 26 कि.मी. दूर है।

4. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

5. **लीज का विवरण** – पूर्व में मूल लीज मेसर्स स्वास्तिक ट्रांसपोर्ट, पार्टनर श्री राजेश धोड़ी के नाम पर दिनांक 07/05/1999 से 20 वर्ष हेतु अर्थात् 06/05/2019 तक था। लीज का हस्तांतरण दिनांक 21/12/2006 को श्री हेमंत कुमार साहू के नाम पर किया गया। लीज का सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट दिनांक 20/01/2015 को किया गया है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 07/05/1999 से 06/05/2019 तक की अवधि हेतु थी। वर्तमान में दिनांक 07/05/2019 से 06/05/2049 तक की अवधि हेतु Deemed renewal के तहत् आवेदन किया गया है।

6. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,72,150 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,38,100 टन है। ओपन कास्ट मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। ड्रिलिंग हेतु जैक हैमरड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। उत्खनन की कुल गहराई 26 मीटर होगी। वर्तमान में एक स्थान पर 23 मीटर की गहराई तक खुदाई हुई है। खदान की संभावित आयु 7 वर्ष है। जल उपभोग की मात्रा 5 किलोलीटर प्रतिदिन (ड्रिलिंग एवं डस्ट सप्रेशन 3 किलोलीटर प्रतिदिन, प्लांटेशन 1 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलु उपयोग हेतु 1 किलोलीटर प्रतिदिन) है। जल का स्त्रोत वाटर टैंकर एवं बोरवेल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2009–10	3,355
2010–11	3,255
2011–12	1,760
2012–13	2,211
2013–14	निरंक
2014–15	
2015–16	

2016–17	
2017–18	
2018–19	

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	आयतन (घनमीटर)	उत्पादन क्षमता (टन)	उत्पादन क्षमता (टन)
2016–2017	1,800	4,500	20,250
	6,300	15,750	
2017–2018	1,800	4,500	21,000
	6,600	16,500	
2018–2019	4,800	12,000	24,750
	5,100	12,750	
कुल	**26,400**	**66,000**	**66,000**

7. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/07/2017 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{2ppb}$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day

time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हेमंत कुमार साहू, प्रोपराईटर एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2013–14 से उत्खनन बंद है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है।
3. प्रस्तुत ई.आई.ए. में ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है।
4. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.10 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं कार्यभार व्यय का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वर्तमान में स्थापित बोरवेल से किया जाना बताया गया है। उक्त हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. इन्फ्रॉयरोमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेड़ेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।
10. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पॉवर हॉउस रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़िया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़के अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

ii. निश्चित समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे खदान एवं क्रशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रशर को पूर्णत: कव्हर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

vi. गिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी वाहने चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनके गति में रोक लगाई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियत्रंण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा सत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। अत: उक्त उत्खनित क्षेत्र का विवरण, लंबाई, गहराई सहित नक्शे में प्रदर्शित कर

वर्तमान में भराव (बैकफिल) हेतु प्रयुक्त मिट्टी / ओवरबर्डन की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के उचित रख–रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये शर्त क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

4. प्रस्तुत ई.आई.ए. में परिवेशीय ध्वनि स्तर में उत्खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न ध्वनि को शामिल करते हुये प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है। अतः गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

5. परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है। अतः उक्त के कारण को स्पष्ट किया जाए तथा प्रभावी नियंत्रण (Mitigation measure) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई का मापन के आधार संबंधी प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

8. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु निहित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर की सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संधारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर में उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

9. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वर्तमान में स्थापित बोरवेल से किए जाने हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

10. इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट में संशोधन कर दिनांक 18/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। उक्त क्षेत्र का भराव दिसम्बर 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने का समय एवं इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं संलग्न सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हेमंत कुमार साहू, प्रोपराईटर एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के उचित रख-रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विचाराधीन क्लस्टर के संचालन उपरांत क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।

4. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साईट-V) एवं 6 (प्रोजेक्ट साईट-VI) में परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत एवं जल छिड़काव कर, मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.$_{10}$ 92.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं 89.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा को निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरंतर किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी नियंत्रण उपाय (Mitigation measure) एवं पहुँच मार्ग तथा खदान के आस-पास में प्रस्तावित साधन वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।

5. ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु किये गये हाईड्रोजियोलॉजिकल स्टडी अनुसार खदान के क्षेत्र में ग्राउण्ड वाटर टेबल सतह से 35 मीटर नीचे होना बताया गया है।

6. खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी।

7. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, सड़कों का संधारण (Road Maintenance) एवं वृक्षारोपण तथा परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quarterly Environment Monitoring) किया जाएगा। उक्त कार्य हेतु अनुमानित राशि की उपयुक्त गणना प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में चाही गई जानकारी विधिवत् प्रस्तुत किया जाए।

2. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के लिए अनुमानित राशि की उपयुक्त गणना उपरांत संशोधित कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत की जाए।

3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यभार खर्च का विवरण) को समस्त 17 खदानों के लिए एक साथ सारणीबद्ध (Tabular) में प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स नंदिनी–खुदिनी लाईम स्टोन माईन (श्री संतोष मिनरल्स), ग्राम–नंदिनी–खुदिनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 534)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/61154/2016, दिनांक 21/12/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/48513/2016, दिनांक 16/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। खदान खसरा नं. 443, 444 एवं 446, ग्राम–नंदिनी–खुदिनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 3.11 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 9,000 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकरण में समिति की 283वीं बैठक दिनांक 14/06/2019 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत नंदनी–खुंदनी द्वारा दिनांक 11/02/2009 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक दुर्ग/घूप/खयो–439 /नाग/04–रायपुर दिनांक 11/08/2016 (वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक की अवधि हेतु) द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित चूना पत्थर खदान से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य 11 चूना पत्थर खदानें कुल रकबा 68.85 हेक्टेयर स्वीकृत/संचालित है।

4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नंदनी–खुंदनी 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल 0.85 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–नंदनी–खुंदनी 0.975 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि. मी. एवं राज्यमार्ग 1.24 कि.मी. है। शिवनाथ नदी 1 कि.मी की दूरी पर स्थित है।

5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नही होना प्रतिवेदित किया है।

6. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्री संतोष कुमार के नाम पर था। श्री संतोष पाड़े के देहवासन हो जाने कारण उनकी पत्नि श्रीमती अर्चना पाड़े के नाम पर लीज के हस्तांरण हेतु आवेदन किया गया है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् 11/10/1995 से 10/10/2015 तक की अवधि हेतु थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1263 दिनांक 05/10/2015 द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के अधीन खनिपट्टा अवधि वृद्धि बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लंघन का प्रकरण नही होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.आ. 1030(अ) दिनांक 08/03/2018 तथा ओ.एम. दिनांक 15/03/2018 एवं 16/03/2018 अनुसार निर्धारित समयावधि में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाना बताया गया है।

8. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1051/खनि. शि./खनिज/2018 दुर्ग, दिनांक 02/11/2018 द्वारा जारी वर्ष

2014–15 से वर्ष 2017–18 तक के वर्षवार उत्खनित मात्रा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उत्खनन निरंक बताया गया है।

9. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 9,53,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 98,300 टन है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। वर्तमान में भू–भाग के 2.02 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्खनन हुआ है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 14 मीटर है। खदान की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 22 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। विगत पांच वर्षों में उत्खनित खनिज की मात्रा 33,915 मीट्रिक टन है। ड्रिलिंग हेतु जैक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। जल की मात्रा 4 किलोलीटर प्रतिदिन है एवं घरेलु उपयोग हेतु 2 किलोलीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है, जिसका स्त्रोत ट्यूबवेल है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
1996–1997	5,755	2008–2009	7,202
1997–1998	1,028	2009–2010	7,639
1998–1999	2,700	2010–11	3,884
1999–2000	3,346	2011–12	3,250
2000–2001	721	2012–13	7,400
2001–2002	5,123	2013–14	5,825
2002–2003	9,174	2014–15	निरंक
2003–2004	9,727	2015–16	
2004–2005	7,125	2016–17	
2005–2006	3,966	2017–18	
2006–2007	9,571	2018–19	
2007–2008	15,521		

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	उत्खनन क्षमता ROM (टन)
2015–2016	Actual			–
2016–2017	1,200	3	3,600	9,000
2017–2018	1,200	3	3,600	9,000
2018–2019	1,200	3	3,600	9,000
2019–2020	1,200	3	3,600	9,000

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/08/2019 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर

ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{2eq}$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनिल पाढ़े, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014–15 से उत्खनन बंद है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है।

3. प्रस्तुत ई.आई.ए. में ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है।

4. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.10 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं कार्यभार व्यय का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वर्तमान में स्थापित बोरवेल से किया जाना बताया गया है। उक्त हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. इन्वॉयरोमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

9. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेड़ेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

10. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

   i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पॉवर हॉउस रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़िया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़के अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जावे। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

   ii. निश्चित समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे खदान एवं क्रशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रशर को पूर्णतः कवर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

   iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

   iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

   v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

vi. मिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी वाहनें चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनकी गति में रोक लगाई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियत्रंण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। अतः उक्त उत्खनित क्षेत्र का विवरण, लंबाई, गहराई सहित नक्शे में प्रदर्शित कर वर्तमान में भराव (बेकफिल) हेतु प्रयुक्त मिट्टी / ओवरबर्डन की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के उचित रख–रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये शर्त क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

4. प्रस्तुत ई.आई.ए. में परिवेशीय ध्वनि स्तर में उत्खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न ध्वनि को शामिल करते हुये प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है। अतः गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

5. परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है। अतः उक्त के कारण को स्पष्ट किया जाए तथा प्रभावी नियंत्रण (Mitigation measure) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई का मापन के आधार संबंधी प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

8. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर मे प्रदूषण नियंत्रण हेतु निहित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संधारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर मे उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

9. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वर्तमान में स्थापित बोरवेल से किए जाने हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

10. इन्वॉयरोमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट मे संशोधन कर दिनांक 18/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। उक्त क्षेत्र का भराव दिसम्बर 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने का समय एवं इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनिल पाड़े, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन रिदु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के उचित रख–रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये शर्त क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

4. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विचाराधीन क्लस्टर के संचालन उपरांत क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।

5. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साईट–V) एवं 6 (प्रोजेक्ट साईट–VI) में परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत एवं जल छिड़काव कर, मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.$_{10}$ 92.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं 89.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा को निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरंतर किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी नियंत्रण उपाय (Mitigation measure) एवं पहुँच मार्ग तथा खदान के आस–पास में प्रस्तावित सघन वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।

6. ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु किये गये हाईड्रोजियोलॉजिकल स्टडी अनुसार खदान के क्षेत्र में ग्राउण्ड वाटर टेबल सतह से 35 मीटर नीचे होना बताया गया है।

7. खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी।

8. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, सड़कों का संधारण (Road Maintenance) एवं वृक्षारोपण तथा परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quarterly Environment Monitoring) किया जाएगा। उक्त कार्य हेतु अनुमानित राशि की उपयुक्त गणना प्रस्तुत नहीं की गई है।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. इन्वॉयरोमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में चाही गई जानकारी विधिवत् प्रस्तुत किया जाए।
2. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के लिए अनुमानित राशि की उपयुक्त गणना उपरांत संशोधित कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) को समस्त 17 खदानों के लिए एक साथ सारणीबद्ध (Tabular) में प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मैसर्स नंदनी–खुंदनी लाईम स्टोन माईन (श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा), ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 735F)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /28529/2018, दिनांक 02/08/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48532/ 2018, दिनांक 16/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। यह खदान ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1894, 1908 एवं 1911(पी), कुल लीज क्षेत्र 4.55 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 40,000 टन प्रतिवर्ष एवं क्रशिंग क्षमता – 40,000 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 260वीं बैठक दिनांक 27/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत नंदनी–खुंदनी द्वारा दिनांक 18/02/2014 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रिन्यूबल ऑफ माईनिंग प्लान एलांगविथ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के ज्ञापन क्रमांक डीआरजी/ एलएसटी

/एमपीएलएन–07/नागपुर दिनांक 14/06/2013 (वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक की अवधि हेतु) द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 2289 दिनांक 28/01/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 11 खदानें रकबा 68.10 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।

4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नंदिनी–खुंदनी 0.7 कि.मी., शहर दुर्ग 28 कि.मी., स्कूल ग्राम–नंदिनी–खुंदनी 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–अहिवारा 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.15 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3.45 कि.मी. की दूर है।

5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

6. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा के नाम पर है। पूर्व में लीज डीड 20 वर्षों के लिए दिनांक 14/06/1993 से 13/06/2013 तक की अवधि हेतु थी।

7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1263/खनिज/2015 दुर्ग दिनांक 05/10/2015 द्वारा खनिपट्टे की अवधि बढ़ाने हेतु पूरक अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने बाबत् पत्र जारी किया गया है।

8. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 8,43,500 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,42,500 टन है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 16 मीटर एवं अंतिम गहराई 27 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 9 वर्ष है। विभिन्न खनन प्रक्रियाओं हेतु 7 किलो लीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन 3 किलो लीटर प्रतिदिन, प्लांटेशन 2 किलो लीटर प्रतिदिन एवं घरेलु उपयोग हेतु 2 किलो लीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होती है। जल का स्त्रोत बोरवेल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। क्रशर की स्थापना की गई है। क्रशर का क्षेत्रफल 1,800 वर्गमीटर है तथा क्रशर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
1994–1995	22,437	2007–2008	13,300
1995–1996	49,240	2008–2009	28,100
1996–1997	55,900	2009–2010	15,750
1997–1998	31,800	2010–2011	19,500
1998–1999	19,300	2011–2012	39,200

1999–2000	20,950	2012–2013	53,050
2000–2001	10,440	2013–2014	49,901
2001–2002	14,300	2014–2015	23,052
2002–2003	52,400	2015–2016	15,525
2003–2004	54,400	2016–2017	22,500
2004–2005	17,600	2017–2018	निरंक
2005–2006	21,500	2018–2019	निरंक
2006–2007	9,800		

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना
(रिन्युवल ऑफ माईनिंग एलांग विथ प्रोग्रेसिव क्लोजर प्लान अनुसार)

वर्ष	उत्खनन क्षमता (टन)
2013–14	22,500
2014–15	22,500
2015–16	24,750
2016–17	32,250
2017–18	39,750

9. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/02/2019 द्वारा अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल

गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{(NOx)}$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री टी.आर. मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जनवरी से मार्च 2016 तक 16,900 टन एवं वर्ष 2016-17 में 22,500 टन उत्खनन किया गया है। वर्ष 2017-18 से उत्खनन बंद है।
2. लीज क्षेत्र के चारो ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है।
3. प्रस्तुत ई.आई.ए. में ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है।
4. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।
5. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वर्तमान में स्थापित बोरवेल से किया जाना बताया गया है। उक्त हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. इन्फ्रॉयरोमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

10. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेड़ेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

11. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

    i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पॉवर हॉउस रोड जहाँ पर गिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़िया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़के अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

    ii. निश्चित समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे खदान एवं क्रशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रशर को पूर्णतः कव्हर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

    iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामो के लोगो को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

    iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

    v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदाने है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

    vi. गिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी वाहनें चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनके गति में रोक लागई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियत्रंण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। अतः उक्त उत्खनित क्षेत्र का विवरण, लंबाई, गहराई सहित नक्शे में प्रदर्शित कर वर्तमान में भराव (बेकफिल) हेतु प्रयुक्त मिट्टी / ओवरबर्डन की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के उचित रख–रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये शर्त क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

4. प्रस्तुत ई.आई.ए. में परिवेशीय ध्वनि स्तर में उत्खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न ध्वनि को शामिल करते हुये प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है। अतः गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

5. परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है। अतः उक्त के कारण को स्पष्ट किया जाए तथा प्रभावी नियंत्रण (Mitigation measure) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई का मापन के आधार संबंधी प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्वॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।

8. उल्लंघन अवधि मे उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

10. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर मे प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिन्हित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संधारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर मे उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।
11. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वर्तमान में स्थापित बोरवैल से किए जाने हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
12. इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट में संशोधन कर दिनांक 18/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। उक्त क्षेत्र का भराव दिसम्बर 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने का समय एवं इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुजीत मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष

ऊपरी मिट्टी के उचित रख–रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये शर्त क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

4. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विचाराधीन क्लस्टर के संचालन उपरांत क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।

5. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साईट–V) एवं 6 (प्रोजेक्ट साईट–VI) में परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत एवं जल छिड़काव कर, मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.$_{10}$ 92.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं 89.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा को निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरंतर किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी नियंत्रण उपाय (Mitigation measure) एवं पहुँच मार्ग तथा खदान के आस–पास में प्रस्तावित सघन वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।

6. ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु किये गये हाईड्रोजियोलॉजिकल स्टडी अनुसार खदान के क्षेत्र में ग्राउण्ड वाटर टेबल सतह से 35 मीटर नीचे होना बताया गया है।

7. खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी।

8. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, सड़कों का संधारण (Road Maintenance) एवं वृक्षारोपण तथा परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quarterly Environment Monitoring) किया जाएगा। उक्त कार्य हेतु अनुमानित राशि की उपयुक्त गणना प्रस्तुत नहीं की गई है।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. इन्व्हीयरोमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी प्रस्तुत की गई है।

11. उक्त खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उपयुक्त पर्यावरण के सुरक्षात्मक उपायों को नहीं अपनाते हुये पर्यावरणीय मानकों का पालन

सुनिश्चित नहीं करते हुये उत्खनन किया गया है, जिसके फलस्वरूप मटेरियल उत्खनन, हथालन, परिवहन से वायु प्रदूषण के साथ पर्यावरण पर विपरित प्रभाव की स्थिति निर्मित हुई तथा परिवहन से परिवेशीय वायु में 1.375 माईक्रोग्राम / घनमीटर पीएम$_{10}$ की वृद्धि का योगदान रहा। लीज क्षेत्र के चारों ओर हरित पट्टिका हेतु निर्धारित 7.5 मीटर के सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण नहीं करने के फलस्वरूप पर्यावरण पर विपरित प्रभाव पड़ा।

12. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदानुसार अध्ययन कर रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्लान में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित कार्यों का विवरण, कार्यवार खर्च, स्थल का चयन, आदि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षति (Environmental Damage) हेतु रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति लागत (Damage Cost) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, ताकि उसके परीक्षण उपरांत समिति द्वारा अनुमोदन किया जा सके।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में चाही गई जानकारी विधिवत् प्रस्तुत किया जाए।
2. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के लिए अनुमानित राशि की उपयुक्त गणना उपरांत संशोधित कॉमन इन्व्हायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) को समस्त 17 खदानों के लिए एक साथ सारणीबद्ध (Tabular) में प्रस्तुत किया जाए।
4. क्लस्टर में शामिल उल्लंघन के समस्त खदानों के लिए Environment Compensation के प्रस्ताव को सारणीबद्ध (Tabular) में प्रस्तुत किया जाए।
5. पर्यावरणीय क्षति (Environmental Damage) हेतु रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति लागत (Damage Cost) का उपयुक्त आकंलन कर, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्तावित निर्धारित कार्यों का विवरण, कार्यवार खर्च, स्थल का चयन, आदि के विवरण सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स नंदनी–खुंदनी लाईम स्टोन माईन (श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा), ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 70)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 31798 / 2016, दिनांक 15 / 10 / 2016 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48530 / 2015,

दिनांक 16/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 07/10/2014 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। खदान खसरा नं. 1909(पी), ग्राम–नंदनी–खुदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 1.92 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 40,500 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकरण में समिति की 227वीं बैठक दिनांक 13/06/2017 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत नंदनी–खुदनी द्वारा दिनांक 18/02/2014 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – स्कीम ऑफ माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र क्रमांक डीआरजी/एलएसटी/एमपीएलएन–608/ नागपुर दिनांक 07/04/2014 (वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक की अवधि हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के पत्र क्रमांक 2288 दिनांक 28/01/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 11 खदानें रकबा 70.71 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं। इनमें से सभी खदानों की लीज 09/09/2013 को पूर्व की स्वीकृत है।
4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नंदिनी–खुंदिनी 0.75 कि.मी., स्कूल ग्राम–नंदिनी–खुंदिनी 1.3 कि.मी., अस्पताल ग्राम–अहिवारा 5 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन भिलाई पॉवर हॉउस लगभग 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.08 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3.4 कि.मी. दूर है।
5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् 07/07/1998 से 06/07/2018 तक की अवधि हेतु थी।
7. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 8,58,800 टन एवं माईनेबल रिजर्व 5,79,050 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.4 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। ऊपरी मिट्टी की गहराई 0.5 मीटर है। वर्तमान में उत्खनन की औसत गहराई 27 मीटर है। अल्टीमेट उत्खनन की गहराई 27 मीटर होगी। अल्टीमेट बेंच की ऊंचाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। विगत पांच वर्षों में उत्खनित खनिज की मात्रा 1,56,164 टन है। ड्रिलिंग हेतु जैक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 14 वर्ष है। विभिन्न खनन प्रक्रियाओं हेतु 7 किलोलीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन 3 किलोलीटर प्रतिदिन, प्लांटेशन 2 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलु उपयोग हेतु 2 किलोलीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होती है, जिसका स्त्रोत बोरवेल है।

वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
1998–1999	5,900	2009–2010	29,800
1999–2000	11,000	2010–2011	16,500
2000–2001	11,000	2011–2012	20,050
2001–2002	7,050	2012–2013	50,014
2002–2003	80,750	2013–2014	26,702
2003–2004	1,04,800	2014–2015	32,902
2004–2005	83,400	2015–2016	28,775
2005–2006	70,100	2016–2017	40,500
2006–2007	56,900	2017–2018	3,375
2007–2008	59,800	2018–2019	निरंक
2008–2009	37,800		

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	बेंच उंचाई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	उत्खनन क्षमता ROM (टन)	वास्तविक उत्खनन (टन)
2013–2014	2,700	6.0	16,200	40,500	26,701
2014–2015	1,500	6.0	9,000	22,500	32,903
	1,200	6.0	7,200	18,000	
2015–2016	2,700	6.0	16,200	40,500	28,775
2016–2017	1,800	6.0	10,800	27,000	30,375 (जनवरी 2017 तक) फरवरी 2017 से उत्खनन बंद है।
	1,800	6.0	5,400	13,500	
2017–2018	2,700	6.0	16,200	40,500	
कुल	**9,600**	—	**57,600**	**2,02,500**	

8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण** :– पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/08/2017 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एस.ओ.$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एन.ओ.$_{एक्स}$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री टी.आर. मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अप्रैल से मार्च 2016 तक 28,775 टन एवं वर्ष 2016–17 में 30,375 टन उत्खनन किया गया है। फरवरी 2017 से उत्खनन बंद है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है।
3. प्रस्तुत ई.आई.ए. में ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है।
4. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।

5. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं कार्यभार व्यय का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरीमेंटल प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वर्तमान में स्थापित बोरवेल से किया जाना बताया गया है। उक्त हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

10. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेड़ेसरा तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

11. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

    i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पॉवर हॉउस रोड जहाँ पर मिट्टी खदानों की बड़ी–बड़ी गाड़िया चलती है, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़के अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।

    ii. निश्चित समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे खदान एवं क्रशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा। उसकी सतत् निगरानी शासन द्वारा किया जाए। क्रशर को पूर्णतः कव्हर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।

    iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

    iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।

    v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें है, जिससे पानी ठहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

    vi. मिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी–बड़ी वाहनें चलती है, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनके गति में रोक लगाई जाए। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।

ii. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।

v. जो खदानें बंद पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।

vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा सत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। अतः उक्त उत्खनित क्षेत्र का विवरण, लंबाई, गहराई सहित नक्शे में प्रदर्शित कर वर्तमान में भराव (बेकफिल) हेतु प्रयुक्त मिट्टी / ओवरबर्डन की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।

2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के उचित रख–रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये शर्त क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

4. प्रस्तुत ई.आई.ए. में परिवेशीय ध्वनि स्तर में उत्खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न ध्वनि को शामिल करते हुये प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है। अतः गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

5. परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है। अतः उक्त के कारण को स्पष्ट किया जाए तथा प्रभावी नियंत्रण (Mitigation measure) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई का मापन का आधार संबंधी प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्वॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।

8. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

10. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरमेंटल प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिन्हित विभिन्न कार्यों (यथा क्लस्टर के सड़कों / एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संधारण, परिवहन के दौरान सड़कों / एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों / एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर में उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।

11. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वर्तमान में स्थापित बोरवेल से किए जाने हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

12. इन्व्हॉयरमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट में संशोधन कर दिनांक 18/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। उक्त क्षेत्र का भराव दिसम्बर 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु उनको द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने का समय एवं इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुजीत मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मेसर्स इन सिटु इन्वायरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए।

समिति द्वारा सस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के उचित रख-रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये शर्त क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

4. प्रस्तुतीकरण के दौरान ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विचाराधीन क्लस्टर के संचालन उपरांत क्लस्टर के परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए से 61.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 32.9 डीबीए से 37.8 डीबीए होगी। जो कि निर्धारित मानक के भीतर है।

5. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मॉनिटरिंग स्टेशन क्रमांक 5 (प्रोजेक्ट साईट-V) एवं 6 (प्रोजेक्ट साईट-VI) में परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है, जिसका मुख्य कारण स्थानीय लोगों द्वारा आवागमन एवं परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले मार्ग की स्थिति खराब होना है। अतः उक्त मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत एवं जल छिड़काव कर, मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई, जिसके अनुसार मॉनिटरिंग स्टेशन 5 एवं 6 में क्रमशः पी.एम.$_{10}$ 92.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर एवं 89.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया। परिवेशीय वायु में पी.एम.$_{10}$ की मात्रा को निर्धारित मानक से कम रखने के लिए इस गतिविधि को निरंतर किया जाना आवश्यक है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रभावी नियंत्रण उपाय (Mitigation measure) एवं पहुँच मार्ग तथा खदान के आस-पास में प्रस्तावित सघन वृक्षारोपण से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार होना संभावित है।

6. ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु किये गये हाईड्रोजियोलॉजिकल स्टडी अनुसार खदान के क्षेत्र में ग्राउण्ड वाटर टेबल सतह से 35 मीटर नीचे होना बताया गया है।

7. खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी।

8. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, सड़कों का संधारण (Road Maintenance) एवं वृक्षारोपण तथा परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quarterly Environment

Monitoring) किया जाएगा। उक्त कार्य हेतु अनुमानित राशि की उपयुक्त गणना प्रस्तुत नहीं की गई है।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. इन्वॉयरोमेंट मेनेजमेंट पॉलिसी प्रस्तुत की गई है।

11. प्रस्तुतीकरण में प्रदर्शित खनन क्षेत्र एवं KML फाईल में दर्शित खनन क्षेत्र में भिन्नता है।

12. उक्त खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उपयुक्त पर्यावरण के सुरक्षात्मक उपायों को नहीं अपनाते हुये पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं करते हुये उत्खनन किया गया है, जिसके फलस्वरूप मटेरियल उत्खनन, हथालन, परिवहन से वायु प्रदूषण के साथ पर्यावरण पर विपरित प्रभाव की स्थिति निर्मित हुई तथा परिवहन से परिवेशीय वायु में 1.375 माईक्रोग्राम / घनमीटर पीएम$_{10}$ की वृद्धि का योगदान रहा। लीज क्षेत्र के चारों ओर हरित पट्टिका हेतु निर्धारित 7.5 मीटर के सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण नहीं करने के फलस्वरूप पर्यावरण पर विपरित प्रभाव पड़ा।

13. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर तदानुसार अध्ययन कर रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्लान में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित कार्यों का विवरण, कार्यवार खर्च, स्थल का चयन, आदि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षति (Environmental Damage) हेतु रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति लागत (Damage Cost) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, ताकि उसके परीक्षण उपरांत समिति द्वारा अनुमोदन किया जा सके।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में चाही गई जानकारी विधिवत् प्रस्तुत किया जाए।
2. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्वायरोमेंटल प्लान के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के लिए अनुमानित राशि की उपयुक्त गणना उपरांत संशोधित कॉमन इन्वायरोमेंटल प्लान प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) को समस्त 17 खदानों के लिए एक साथ सारणीबद्ध (Tabular) में प्रस्तुत किया जाए।
4. क्लस्टर में शामिल उल्लंघन के समस्त खदानों के लिए Environment Compensation के प्रस्ताव को सारणीबद्ध (Tabular) में प्रस्तुत किया जाए।
5. पर्यावरणीय क्षति (Environmental Damage) हेतु रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति लागत (Damage Cost) का उपयुक्त आकलन कर, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्तावित निर्धारित कार्यों का विवरण, कार्यवार खर्च, स्थल का चयन, आदि के विवरण सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. प्रस्तुतीकरण में प्रदर्शित खनन क्षेत्र एवं KML फाईल में दर्शित खनन क्षेत्र में भिन्नता है। उक्त संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा बिन्दु क्रमांक–2 के सरल क्रमांक 8 से 17 तक के प्रकरणों में समयाभाव होने के कारण समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण नहीं हो पाया। प्रकरण निम्नानुसार है:–

क्र.	खदान का नाम एवं पता	प्रपोजल क्रमांक	फाईल क्रमांक
8.	मेसर्स मेढेसरा लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्रीमती अल्पा श्रीवास्तव), ग्राम–मेढेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग	48549 पत्थर	730
9.	मेसर्स रूपरेला ब्रदर्स लाईम स्टोन माईन, ग्राम–सहगांव, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग	48624 पत्थर	694
10.	मेसर्स बी.एल. रामानी लाईम स्टोन माईन, ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग	48662 पत्थर	542
11.	मेसर्स श्री भगतराम साहू (नंदनी–खुंदनी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग	48677 पत्थर	539
12.	मेसर्स नंदनी–खुंदनी लाईम स्टोन माईन (श्री विरेन्द्र चोपड़ा), ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग	48795 पत्थर	735सी
13.	मेसर्स मेढेसरा लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री संजय अग्रवाल), ग्राम–मेढेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग	48358 पत्थर	735डी
14.	मेसर्स श्री संजय अग्रवाल (नंदनी–खुंदनी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग	48406 पत्थर	735बी
15.	मेसर्स पथरिया लाईम स्टोन माईन (श्री ए. के. वर्मा), ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग	48404 पत्थर	697
16.	मेसर्स पथरिया लाईम स्टोन माईन (श्री ए. के. वर्मा), ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग	48449 पत्थर	698
17.	मेसर्स सहगांव लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती रत्ना पाण्डे), ग्राम–सहगांव, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग	48477 पत्थर	710

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावकों को आगामी बैठक में पूर्व बैठक के निर्णय अनुसार वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावकों को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: परियोजना प्रस्तावकों से जानकारी / दस्तावेज प्राप्ति उपरांत विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. सरपंच, ग्राम पंचायत कंचनपुर, ग्राम–कंचनपुर, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 1594)

ऑफलाईन आवेदन – पूर्व में संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 4076/ख.नि.–2/रेत/न. क्र. 38/1996 रायपुर, दिनांक 17/08/2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया था।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कंचनपुर, ग्राम पंचायत कंचनपुर, तहसील–धरघोड़ा, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 14, कुल लीज क्षेत्रफल – 5.696 हेक्टेयर में है। उत्खनन कुरकुट नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–87,094 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – समिति की दिनांक 20/01/2018 को संपन्न 247वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी/रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– पूर्व में रेत खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 14, क्षेत्रफल–5.696 हेक्टेयर, क्षमता–56,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति ज्ञापन कमांक 4258 दिनांक 03/12/2015 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।
2. **पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की जानकारी:**– पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/01/2018 को उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट में कुरकुट नदी हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिलेवार वर्ष 2012 से 2016 तक के वर्षा संबंधी आंकड़ों (Rainfall data) का समावेश किया गया है। गणना अनुसार औसत वार्षिक वर्षा का कैचमेंट एरिया 725 वर्ग किलोमीटर है। उपरोक्तानुसार 02 इंच से अधिक रन ऑफ को आधार मानकर गणना करने पर कुल रन ऑफ 936.961 मिलीमीटर है। अतः Dendy-Bolton Formula से गणना अनुसार कैचमेंट एरिया में लगभग 52,100.28 टन प्रतिवर्ष अवसाद (Sediment) उत्पन्न होगा।
5. वर्ष 2016 के पोस्ट मानसून एवं वर्ष 2017 के प्री मानसून तथा पोस्ट मानसून आंकड़ों के अनुसार रेत उत्खनन से होने वाले पिट्स की गहराई लगभग 01 मीटर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 280 मीटर (280 MSL) है। उपरोक्तानुसार प्रतिवर्ष रेत उत्खनन किये जाने से कुरकुट नदी में रेत का पुनःभराव हो जाता है।
6. रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुनःभरण वर्षाकाल में होना बताया गया है तथा रेत उत्खनन गतिविधियों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना बताया गया है।
7. प्रस्तुत सिल्टेशन स्टडी में निम्न तथ्य स्पष्ट नहीं हो रहे हैं–
    - प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून की अवधि में नदी में रेत सतह का आर.एल. का मापन किसके द्वारा, किस किस तिथि में, किस उपकरण की सहायता से किया गया? आर.एल. मापन हेतु बेंच मार्क की स्थिति एवं इसकी आर.एल.

संबंधी जानकारी नहीं है। फील्ड डाटा का संग्रहण किसके द्वारा एवं कब किया गया है? उक्त तथ्यों का समावेश रिपोर्ट में नहीं किया गया है। प्रस्तुत आकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी अनुसार शर्त क्रमांक 14, 23 एवं 24 का पालन करने के संबंध में स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी नहीं दिया गया है। साथ ही वृक्षारोपण के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि सिल्टेशन स्टडी में उक्त तथ्यों/जानकारियों का समावेश किया जाए तथा प्रस्तुत आकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की पुष्टि हेतु फोटोग्राफ्स सहित उपयुक्त जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।

एस.ई.ए.सी., छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 31/01/2018 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में चाही गई जानकारी/दस्तावेज दिनांक 05/07/2018 एवं 18/07/2018 को प्रस्तुत किया गया है।

समिति की दिनांक 30/08/2018 को संपन्न 253वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी:-

1. उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन करने एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रायपुर स्थित तकनीकी सलाहकार कंपनी मेसर्स अवनि जियो एक्सप्लोरेशन माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड द्वारा अध्ययन किया गया है।
2. नदी के स्वीकृत क्षेत्र पर रेत सतह का आर.एल. का मापन अधोहस्ताक्षरित भौमिकीविदो द्वारा पोस्ट-मानसून अवधि दिनांक 23/10/2016, प्री-मानसून अवधि दिनांक 20/06/2017 तथा पुनः पोस्ट-मानसून अवधि दिनांक 13/10/2017 का किया गया है। उपरोक्त वर्णित तिथियों पर फील्ड डाटा का संग्रहण किया गया है।
3. खदान क्षेत्र के निर्धारित स्थल पर आरएल के मापन हेतु GRAMIN MAKE GPS, MODEL-GPS MAP64s का उपयोग किया गया है। क्योंकि GPS से 01 मीटर से कम का आर.एल. वैल्यु मापन सही स्थिति नहीं दर्शाता है। अतः 01 मीटर कम के Depression / Elevation को Tape से नापकर या Physically, Visual गणना के आधार पर लिया गया है। सामान्य रुप से Depression / Elevation में स्पष्टता बनी रहे। अतः प्राप्त आंकड़ों को 0.5 मीटर Round up कर दर्शाया गया है। आंकड़ो की सत्यता की पुष्टि हेतु डाटा शीट की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी अनुसार शर्त क्रमांक 14, 23 एवं 24 का पालन करने के संबंध में स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुत आकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु खनिज विभाग से प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 206 दिनांक 17/10/2018 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 05/11/2018 को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:-

1. वृक्षारोपण के संबंध में फोटोग्राफ्स सहित उपयुक्त जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।
2. मेसर्स अवनि जियो एक्सप्लोरेशन माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा तैयार गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट में प्रस्तुत आकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु खनि निरीक्षक से प्रमाणित कराकर दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

समिति की दिनांक 06/12/2018 को संपन्न 263वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत स्थिति पाई गयी थी कि उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट में किए गए गणना त्रुटिपूर्ण है। गणना अनुसार कैचमेंट क्षेत्रफल 725 वर्ग किलोमीटर में वार्षिक वर्षा के आधार पर Dendy-Bolton Formula से गणना करते हुए कैचमेंट क्षेत्र में लगभग 52,100 टन प्रतिवर्ष अवसाद (Sediment) उत्पन्न होना प्रतिवेदित किया है, जबकि आवेदित उत्खनन क्षमता-87,094 घनमीटर (1,39,350 टन) प्रतिवर्ष है। गणना अनुसार कैचमेंट क्षेत्रफल पूरे नदी का लिया गया है। आवेदित प्रकरण में कुल लीज क्षेत्र 5.696 हेक्टेयर में कुल कैचमेंट के सेडीमेंट का लगभग 2.67 गुणा रेत के उत्खनन का आवेदन है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा नहीं की जा सकती है। अतः आवेदन अमान्य करते हुये निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/01/2019 को संपन्न 82वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि डॉयरेक्टर, मेसर्स अवनि जियो एक्सप्लोरेशन माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा दिनांक 10/01/2019 को प्रकरण पर पुनःविचार हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

उक्त प्राप्त पत्र में उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि प्रकरण पर पुनःविचार कर उपयुक्त अनुशंसा करने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को निर्देशित किया जाए।

समिति की 269वीं बैठक दिनांक 01/02/2019:

समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वांछनीय जानकारियां यथा प्री मानसून अवधि में नदी में रेत सतह का आर.एल. का मापन, आर.एल. मापन हेतु बेंच मार्क की स्थिति एवं इसकी आर.एल. संबंधी जानकारी, फील्ड डाटा संग्रहणकर्ता एवं डाटा संग्रहण की अवधि तथा सुसंगत तथ्यों का समावेश (फोटोग्राफ्स) सहित वर्तमान में प्रस्तुत "प्री मानसून रिपोर्ट" में कर प्रस्तुत किया जाए। प्रस्तुत आकड़ों के सत्यता की

पुष्टि हेतु खनि निरीक्षक की उपस्थिति में आकड़े लेते हुए खनि निरीक्षक से प्रमाणित कराकर दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। साथ ही खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारियां/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक (सचिव) एवं खनि निरीक्षक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/03/2020 द्वारा जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। वर्तमान में **अधिमानी बोलीदार (श्री आर्यन अग्रवाल)** द्वारा दिनांक 06/05/2020 को जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

समिति द्वारा नरसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1994/ख.नि.-1/रेत नीलामी/2019 रायगढ़, दिनांक 25/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
2. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रेत उत्खनन नीलामी (रिवर्स ऑक्सन) के माध्यम से प्राप्त अधिमानी बोलीदार के द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है; जिसमें निम्न तथ्य है:-

   खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना दिनांक 16 अगस्त, 2019 के द्वारा राज्य में गौण खनिज साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के विनियमन हेतु "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019" बनाया गया है। इस नियम में रेत उत्खनन नीलामी (रिवर्स ऑक्सन) के माध्यम से प्राप्त अधिमानी बोलीदार के द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

   छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019" के प्रावधानों के अनुसार संबंधित जिलाध्यक्षों द्वारा नीलामी की प्रकिया उपरांत उपयुक्त अधिमानी बोलीदारों को संबंधित कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा द्वारा एल.ओ.आई. जारी किया जाता है। जारी एल.ओ. आई. अनुसार अधिमानी बोलीदारों द्वारा रेत उत्खनन के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया जाता है।
3. अतः अधिमानी बोलीदारों द्वारा रेत उत्खनन के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. परियोजना प्रस्तावक (सचिव) द्वारा प्रस्तुत आवेदन को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।
2. अधिमानी बोलीदार (श्री आर्यन अग्रवाल) को ऑनलाईन में नियमानुसार आवेदन किये जाने हेतु सूचित किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स श्री रंजय सिंह (सिपकोन्हा सेण्ड माईन, ग्राम–सिपकोन्हा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग), कचना रोड, खम्हारीडीह, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1027)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 126041/2019, दिनांक 18/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 05/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–सिपकोन्हा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 737, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन खारून नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सिपकोन्हा का अपत्तनीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित प्रस्तुत की गई है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित क्वारी प्लान की जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1059/खनिज/ख.लि.3/रेत/2019 दुर्ग, दिनांक 24/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1059/खनिज/ख.लि. 3/रेत/2019 दुर्ग, दिनांक 24/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 909/खनिज/रेत(रिवर्स बीडिंग)/2019 दुर्ग, दिनांक 03/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सिपकोन्हा 0.85 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–सिपकोन्हा 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

9. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 160 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 66 मीटर दर्शाई गई है।

11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,00,000 घनमीटर है। नदीतट के किनारे में 10 मीटर छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट / पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. अनुमोदित माईनिंग प्लान का जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 306वीं बैठक दिनांक 17/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रंजय सिंह, प्रोपराईटर एवं श्री दीपक तिवारी, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) की जानकारी तथा अन्य जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत उत्खनन स्थल पर वर्तमान में जल भराव होने के कारण अद्यतन सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना संभव नही है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति निम्नानुसार से निर्णय लिया गया था–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/06/2020 द्वारा जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/06/2020 को जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

समिति द्वारा नरती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. आवेदित खदान नवीन खदान होना बताया गया है।

2. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 817 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 379 मीटर, औसतन चौड़ाई – 111 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी 51 मीटर है।

3. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 40 मीटर गुणा 40 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 12/06/2019 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

4. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है, परंतु रेत की वास्तविक गहराई एवं पिट्स (Pits) का उल्लेख नहीं किया गया है।

5. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.50	Following activities at Govt. Primary School **Village-Sipkonha**	
			Rain Water Harvesting System	0.46
			Running water facility for toilets & Plantation	0.14
			Total	**0.60**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स अर्जुनी फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.– श्री अभय जैन), ग्राम–अर्जुनी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 997)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 43976/2017, दिनांक 01/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 24/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अर्जुनी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 126/2, 3, 4 एवं 120, कुल क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,600 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. यदि खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई हो, तो जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 316वीं बैठक दिनांक 28/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अभय कुमार जैन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अर्जुनी का दिनांक 08/04/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान (क्वारी कम इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन

क्रमांक क./ख.लि./तीन–6/2016/1243, रायपुर दिनांक 06/06/2016 द्वारा अनुमोदित की गई है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2822/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 08/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 3.4 हेक्टेयर है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2822/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 08/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – लीज श्री शिखर चंद जैन के नाम पर है, जिसकी अवधि 10 वर्ष हेतु अर्थात् दिनांक 18/04/2012 से 17/04/2022 तक थी। तत्पश्चात् लीज का हस्तांतरण दिनांक 25/08/2017 को श्री अभय जैन के नाम पर किया गया है, जो दिनांक 18/04/2022 से 17/04/2042 तक की अवधि हेतु वैध है।

6. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडल अधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.वि./न.क. 10–1/2020/924 राजनांदगांव, दिनांक 24/01/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन कक्ष क्रमांक 539 से 7.1 कि.मी. की दूरी पर है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2016 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अर्जुनी 0.25 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–अर्जुनी 0.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–अर्जुनी 0.6 कि.मी. पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कि.मी. एवं राजमार्ग 0.2 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 96,000 टन, माईनेबल रिजर्व 36,160 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 29,344 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.42 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 19 वर्ष है। अनुमोदित माईनिंग प्लान में वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	333	3	1,000	1,600
द्वितीय	333	3	1,000	1,600
तृतीय	333	3	1,000	1,600
चतुर्थ	333	3	1,000	1,600
पंचम	333	3	1,000	1,600
षष्ठम	333	3	1,000	1,600

11. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2 घनमीटर प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति निकटतम बोरवैल से की जाती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 500 नग वृक्षारोपण किया गया है, आगामी मानसून में 600 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में खदान खसरा क्रमांक 126/2, 3, 4 एवं 120, क्षेत्रफल 1 हैक्टेयर, क्षमता–1,600 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/01/2017 के द्वारा जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी किया गया है।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 517/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 26/02/2020 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (घनमीटर)
2012–2013	150
2013–2014	945
2014–2015	527
2015–2016 (दिसम्बर 15 तक)	1,904
2015–2016 (दिनांक 01/01/2016 से 31/01/2017 तक)	–
2016–2017 (दिनांक 01/02/2017 से 31/03/2017 तक)	71
2017–2018	970
2018–2019	547
2019–2020	315

14. प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार ब्लॉक्ड मिनरल की गणना किये जाने के लिए माईन लिमिट का 10 प्रतिशत (6,000 घनमीटर), बेंचरा में 2,600 घनमीटर एवं अन्य ब्लॉकेज 28,800 घनमीटर मात्रा को घटाया गया है। जबकि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर का क्षेत्रफल 0.42 हेक्टेयर है। उत्खनन 6 मीटर तक किया जाना बताया गया है। इस प्रकार ब्लॉक्ड मिनरल की गणना किये जाने के लिए माईन लिमिट का 10 प्रतिशत (6,000 घनमीटर) के स्थान पर 25,200 घनमीटर को घटाया जाना चाहिए। अतः प्रस्तुत माईनिंग प्लान में त्रुटि है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 25	2%	Rs. 0.50	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Arjuni	
			Rain water harvesting system	Rs. 0.30
			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.10
			Plantation with fencing work	Rs. 0.10
			Total	**Rs. 0.50**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ब्लॉक्ड मिनरल की गणना किये जाने के लिए माईन लिमिट का 10 प्रतिशत (6,000 घनमीटर) के स्थान पर 25,200 घनमीटर को घटाते हुये, पुनः गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/06/2020 द्वारा जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/06/2020 को जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **संशोधित उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) जो प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक

2131/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019 नवा रायपुर, दिनांक 20/05/2020 द्वारा अनुमोदित है।

2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2822/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 08/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 3.4 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. माईनिंग विभाग से क्लस्टर क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया जाए।
2. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स दुलना लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री रामनारायण साहू), ग्राम–दुलना, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 907)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 38094/2019, दिनांक 23/08/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29/07/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 08/01/2020 को ऑफलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–दुलना, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 239(पार्ट) एवं

240, कुल क्षेत्रफल–1.12 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–11,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 307वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तद्नुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 312वीं बैठक दिनांक 07/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हेमंत कुमार साहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत दुलना का दिनांक 12/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉगविथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./नीलाम/2019/2351 रायपुर, दिनांक 22/02/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 25/ख.लि./तीन–6/2018 रायपुर, दिनांक 01/04/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./2019 रायपुर, दिनांक 25/04/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में दक्षिण–पश्चिम दिशा में 50 मीटर की दूरी पर हाईटेंशन लाईन एवं उत्तर दिशा में शासकीय घास भूमि है। इसके अतिरिक्त कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–1/ ई–निविदा/ 2018/2010 रायपुर, दिनांक 21/01/2019 द्वारा जारी की गई। एल.ओ.आई.

की वैधता वृद्धि दिनांक 27/09/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता 6 माह (अर्थात् दिनांक 19/01/2020 तक) आशय पत्र की अवधि समाप्त होने के कारण नियमानुसार आशय पत्र विस्तार हेतु माननीय न्यायालय संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर, छ.ग. के समक्ष अपील प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में यह प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी एवं स्कूल ग्राम–दुलना 1 कि.मी, अस्पताल नवापारा 3.5 कि.मी.की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 17 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। तालाब 0.45 कि.मी. एवं महानदी 1.2 कि. मी. दूर है।

8. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./रा/2571 रायपुर, दिनांक 15/05/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,96,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,14,312 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.23 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 7,081 घनमीटर एवं मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	2,912	1.5	4,369	10,922
द्वितीय वर्ष	2,927	1.5	4,390	10,976
तृतीय वर्ष	1,242	1.5	1,863	4,657
	1,691	1.5	2,537	6,342
चतुर्थ वर्ष	2,933	1.5	4,400	11,000
पंचम वर्ष	2,000	1.5	2,999	7,499
	932	1.5	1,398	3,496

आगामी पांच वर्ष की उत्पादन योजना

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (नग)
छठवें वर्ष	2,931	1.5	4,396	10,990
सातवें वर्ष	2,307	1.5	3,461	8,652

	619	1.5	929	2,323
आठवे वर्ष	2,926	1.5	4,389	10,972
नौवे वर्ष	2,175	1.5	3,262	8,156
	1,137	1.5	1,137	2,842
दसवे वर्ष	4,138	1.5	4,138	10,346

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

11. **जल आपूर्ति** – प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 1,000 नग पौधे प्रथम वर्ष में लगाया जाना प्रस्तावित है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 54	2%	Rs. 1.08	Following activities at Nearby Government School Village- Dulna	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Potable drinking water facility	Rs. 0.30
			Fencing and Plantation work	Rs. 0.30
			Total	**Rs. 1.10**

14. प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में उल्लेखित लैण्ड युज पैर्टन के आकड़ों में भिन्नता है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी अद्यतन जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में लैण्ड युज पैर्टन के आकड़ों में भिन्नता है। अतः संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment

Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यभार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/06/2020 को जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

समिति द्वारा परती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग. के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 03/2020 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 17/06/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है।

2. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2714/ख.नि./तीन-6/2020 रायपुर, दिनांक 14/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

3. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /क./ख.नि./2020/2714 रायपुर, दिनांक 14/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

4. लैण्ड युज पैर्टन के आकड़ो में भिन्नता के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना बताया गया है।

5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में बताये गये प्रस्ताव एवं वर्तमान में दिये गये विस्तृत प्रस्ताव में भिन्नता है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. लैण्ड युज पैर्टन के आकड़ो में भिन्नता के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. पूर्व में प्रस्तुत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) एवं वर्तमान में प्रस्तुत प्रस्ताव में भिन्नता के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. **मेसर्स आर. डी. मिनरल्स बनहरदी लाईम स्टोन क्वारी (पार्टनर – श्री राहुल गोलछा), ग्राम–बनहरदी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 880)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 36759 / 2019, दिनांक 26 / 05 / 2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 06 / 06 / 2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 16 / 01 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बनहरदी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 326 / 2 एवं 327, कुल क्षेत्रफल – 0.708 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 11,600 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04 / 02 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22 / 02 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 316वीं बैठक दिनांक 28 / 02 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री वैभव गोलछा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बनहरदी का दिनांक 11 / 07 / 2002 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांगविथ इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंट मैनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रज्ञा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./1567/ख.लि./तीन–6/2018, दिनांक 02/11/2018 द्वारा अनुमोदित की गई है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2095/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 16/08/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें क्षेत्रफल 3.012 हेक्टेयर है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2095/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 16/08/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – पूर्व में लीज श्री नवीन कुमार जैन के नाम पर है, जिसकी अवधि 10 वर्ष हेतु अर्थात् दिनांक 05/04/2003 से 04/04/2013 तक थी। उक्त लीज का हस्तांतरण दिनांक 10/08/2007 को श्री मनीष खण्डेवाल के नाम पर किया गया। तत्पश्चात् लीज डीड का नवीनीकरण 05 वर्ष हेतु अर्थात् दिनांक 05/04/2013 से 04/04/2018 तक एवं वैधता वृद्धि 15 वर्ष हेतु अर्थात् दिनांक 05/04/2018 से 04/04/2033 तक की अवधि हेतु वैध है। वर्तमान में लीज का हस्तांतरण दिनांक 05/07/2018 को मेसर्स आर. डी. मिनरल्स (पार्टनर – श्री राहुल गोलछा) के नाम पर किया गया है।

6. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क. 10–1/581 राजनांदगांव, दिनांक 15/01/2020 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन कक्ष क्रमांक 539 से 10.5 कि.मी. की दूरी पर है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2016 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बनहरदी 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बनहरदी 1 कि.मी. पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.6 कि.मी. एवं राजमार्ग 0.7 कि.मी. दूर है। तालाब 0.8 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,69,920 टन, माईनेबल रिजर्व 94,470 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 65,024 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.252 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 1,000

घनमीटर एवं मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	1,933	3	5,800	11,600
द्वितीय	1,800	3	5,400	10,800
तृतीय	1,667	3	5,000	10,000
चतुर्थ	1,533	3	4,600	9,200
पंचम	1,400	3	4,200	8,400

11. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति निकटतम बोरवेल से की जाती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि दक्षिण दिशा में 7.5 मीटर के खुले क्षेत्र में कई जगहों पर 4 मीटर तक उत्खनन पूर्व से ही किया गया है। उक्त उत्खनित क्षेत्र में ओवर बर्डन का भराव कर वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में खदान खसरा क्रमांक 326/2 एवं 327, क्षेत्रफल 0.708 हेक्टेयर, क्षमता–4,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09/03/2017 के द्वारा जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 507/खा.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 24/02/2020 के अनुसार विगत वर्षों का उत्खनन विवरण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष	वास्तविक उत्खनन (घनमीटर)
2003–04	200
2004–05	120
2005–06	180
2006–07	215
2007–08	360

2008–09	75
2009–10	155
2010–11	735
2011–12	297
2012–13	380
2013–14	235
2014–15	265
2015–16 (15 जून तक)	85
@ 1.67 टन / घनमीटर	मीट्रिक टन में
2015–16 (15 जुलाई से 15 दिसम्बर तक)	3,440
16 जनवरी से 17 मार्च	–
2017–18	2,710
2018–19	2,800
2019–20	2,850

15. माननीय एन.जी.टी., प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 20	2%	Rs. 0.40	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Banhardi	
			Solar Lighting System	Rs. 0.30
			Plantation with Fencing	Rs. 0.10
			Total	**Rs. 0.40**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत फार्म–2, फार्म–1, प्री–फिसिबिलिटी रिपोर्ट, अनुमोदित माईनिंग प्लान में खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 11,600 टन प्रतिवर्ष बतायी गई है। जबकि प्रस्तुतीकरण के दौरान उत्खनन क्षमता – 10,000 टन प्रतिवर्ष बतायी गई है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक एवं क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/06/2020 द्वारा जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/06/2020 को जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर से प्रतिवेदन अप्राप्त है।

(ख) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. त्रुटिवश प्रस्तुतीकरण के दौरान उत्खनन क्षमता – 10,000 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख हो गया था। अतः प्रस्तुत फार्म–2, फार्म–1, प्री–फिसिबिलिटी रिपोर्ट, अनुमोदित माईनिंग प्लान में खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 11,600 टन प्रतिवर्ष को ही मान्य किया जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को स्मरण पत्र प्रेषित किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।
3. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर तथा परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स श्री अक्षय राजपूत (भरारी सेण्ड माईन, ग्राम–भरारी, ग्राम पंचायत–भंवरमरा, तहसील व जिला–धमतरी), जुनवानी रोड भिलाई, सुपेला, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1231)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी /एमआईएन / 147403 / 2020, दिनांक 05 / 03 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–भरारी, तहसील व जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 866, कुल लीज क्षेत्र 4.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सत्यनारायण राजुर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भंवरमरा का दिनांक 25/03/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1118/खनिज/उत्ख. यो. अनु./रेत/2019-20 कांकेर, दिनांक 27/02/2020 द्वारा अनुमोदित है। तत्पश्चात् संशोधित माईनिंग प्लान किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 111/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2020-21 कांकेर, दिनांक 20/05/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 261/खनि./न.क./2020 धमतरी, दिनांक

17/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 279/खनि./न.क./2020 धमतरी, दिनांक 17/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 136/खनिज/निविदा/2020 धमतरी, दिनांक 30/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–भरारी 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–भरारी 1 कि.मी. एवं अस्पताल धमतरी 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 46 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 200 मीटर, न्यूनतम 132 मीटर तथा खनन स्थल की अधिकतम लंबाई – 616 मीटर, न्यूनतम 458 मीटर, अधिकतम चौड़ाई – 102 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी 10 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 74,328 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 1 गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.75 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

    i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत भवरमरा के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 866, क्षेत्रफल 4.5 हेक्टेयर, क्षमता–75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–धमतरी द्वारा

पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/08/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 798/खनिज/उत्ख.मात्रा/2020 धमतरी, दिनांक 27/05/2020 के अनुसार वर्ष 2017–18 में 32,770 घनमीटर उत्खनन किया गया है।

iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 03/03/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at Nearby Government Primary School **Village-Bharari**	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking water Facility	0.20
			Plantation	0.30
			Total	**1.00**

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 200 मीटर एवं न्यूनतम – 132 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है। खदान की नदी तट से दूरी, नदी के पाट की चौड़ाई का न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिए। अतः माईनिंग प्लान में नदी तट से न्यूनतम 20 मीटर से 13 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 7,836 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इस प्रकार रेत उत्खनन का कार्य अवशेष 3.71 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में खनन स्थल की लंबाई – 616 मीटर, चौड़ाई – 102 मीटर दर्शाई गई है। जिसके अनुसार कुल क्षेत्रफल 6.28 हेक्टेयर होता है। जबकि आवेदन 4.5 हेक्टेयर के लिए किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि माईनिंग प्लान में दर्शित लंबाई एवं चौड़ाई में त्रुटि है। उक्त के आधार पर गैर

माईनिंग क्षेत्र की गणना की गई है। अतः माईनिंग प्लान में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की वास्तविक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. माईनिंग प्लान में उपरोक्त के आधार पर संशोधन कराकर, गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।
3. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/06/2020 द्वारा जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/07/2020 को जानकारियां/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1021/खनिज/न.क्र./2020 धमतरी, दिनांक 01/07/2020 के अनुसार प्रस्तावित खनन क्षेत्र पर नदी के पाट की अधिकतम चौड़ाई 200 मीटर, खनन क्षेत्र की औसत लंबाई – 536 मीटर, औसत चौड़ाई – 82 मीटर है। इस प्रकार वास्तविक स्वीकृत क्षेत्रफल 4.5 हेक्टेयर है।
2. माईनिंग प्लान में उपरोक्त के आधार पर संशोधन कराकर, गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान की प्रति प्रस्तुत की गई है। संशोधित माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से 20 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 7,836 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य अवशेष 3.716 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
3. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(भोसकर विलास संदिपान)
सदस्य सचिव
राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति
छत्तीसगढ़

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति
छत्तीसगढ़